रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012022-232606
CG-DL-E-12012022-232606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2022/पौष 22, 1943
No. 9]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2022/PAUSHA 22, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2022

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी-एमटीआर-11/2021

विषय: **चीन जन.गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एल्यूमीनियम और जिंक कोटिड फ्लैट उत्पादों'' के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में कोरिया जन.गण. से उत्पादक/निर्यातक के नाम के परिवर्तन तक सीमित मध्यवर्ती समीक्षा।**

फा.सं. 7/30/2021- डीजीटीआर.— क. मामले की पृष्ठभूमि

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां ''अधिनियम'' कहा गया है) और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां ''नियमावली'' कहा गया है) के संबंध में :

2. जबकि अधिनियम और ऊपर बताए गए नियमों के संबंध में, ऊपर बताए गए नियमों के तहत नियुक्त वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां ''प्राधिकारी'' कहा गया है), ने दिनांक 15.07.2019 की अधिसूचना सं. 6/4/2019 के अनुसार अनंतिम शुल्क को अधिसूचित किया। अनंतिम

शुल्कों को दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 40/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार लागू किया गया था । तत्पश्चात, प्राधिकारी ने कोरिया जन. गणराज्य, चीन जन.गण. और वियतनाम (जिन्हें यहां ''संबद्ध देश'' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्यूमिनियम और जिंक कोटिड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश करते हुए दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/4/2019- डी जी टी आर के अनुसार अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया ।

3. केन्द्रीय सरकार ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 23 जून, 2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया ।

4. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसरण में प्राधिकारी ने चीन जन.गण., वियतनाम और कोरिया जन. गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एल्यूमिनियम और जिंक कोटिड फ्लैट उत्पादों'' के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में कोरिया जन.गण. से उत्पादक/निर्यातक के नाम के परिवर्तन तक सीमित मध्यवर्ती समीक्षा की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खंड I में प्रकाशित दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 की जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 7/30/2021-डी जी टी आर के अनुसार अधिसूचित किया है । समीक्षा अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/4/2019- डी जी टी आर दिनांक 21 फरवरी, 2020 और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 जून, 2020 के अनुसार लागू निश्चयातमक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में, मै. के.जी. डोंगबू स्टील कं. लिमि., केारिया जन. गणराज्य (जिन्हें यहां "आवेदक" कहा गया है) द्वारा किए गए दावे के अनुसार केवल नाम परिवर्तन के पहलू तक सीमित है ।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

5. इस जांच में, यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-

i. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित जांच शुरूआत अधिसूचना एफ. संख्या 7/30/2021-डी जी टी आर दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के अनुसार कोरिया जन. गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक के नाम के परिवर्तन तक सीमित संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मध्यवर्ती समीक्षा जांच की शुरूआत के बारे में अधिसूचित किया है ।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावास और भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात घरेलू उत्पादकों को (जिनके विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लिखित में अपने मत से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

iii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की किसी अवधि को निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि जांच का दायरा आवेदक के नाम के परिवर्तन के पहलू तक प्रतिबंधित था ।

iv. प्राधिकारी ने ए डी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति उपलब्ध करायी । जहां भी अनुरोध किया गया, आवेदन की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई । प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी से भी कोई उत्तर या रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हुआ ।

v. प्राधिकारी ने इस प्रकार उपलब्ध करायी गई सूचना की सटीकता और पर्याप्तता के लिए परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में आवेदन द्वारा उपलबध कराई गई सूचना की जांच की है ।

vi पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 20 दिसंबर, 2021 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया ।

vii. मौखिक सुनवाई में केवल आवेदक द्वारा भाग लिया गया । सुनवाई के दौरान, आवेदक ने प्राधिकारी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए और उन से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित निवेदनों को प्रस्तुत करने का

अनुरोध किया गया । आवेदक से प्राप्त लिखित अनुरोधों में किए गए तर्कों पर, वर्तमान जांच के लिए संगत समझी गई सीमा तक, इस प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है ।

viii. गोपनीय आधार पर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई । संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी जरूरत थी, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है ।

ix. प्राधिकारी ने नियम 16 के तहत 6 जनवरी, 2021 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया। प्रकटीकरण विवरण के अनुसरण में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा आवेदक निर्माता/निर्यातक के अलावा कोई अन्य टिप्पणी दायर नहीं की गई है। आवेदक निर्माता/निर्यातक ने प्रकटीकरण विवरण की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

ग. <u>आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. कोरिया जन. गणराज्य से आवेदक उत्पादक, मै. के.जी. डोंगबू स्टील कं. लिमि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. आवेदक कोरिया कमर्शियल कोड के तहत कोरिया जन. गणराज्य में निगमित है।

ख. 2019 में, आवेदक ने अपने वर्तमान शेयरधारकों के लिए शेयर समेकन और तृतीय पक्षकारों/निवेशकों को नए शेयर जारी करने की घोषणा की । समेकन के लिए, वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा धारित प्रत्येक *** वर्तमान शेयरों को एक समेकित शेयर (अन्य वर्तमान शेयरों के लिए ***) में समेकित किया गया । तद्नुसार, बकाया ऋणों (***) के हिस्से को रद्द किए जाने के बदले में ऋणदाताओं को नए शेयर जारी किए गए ।

ग. आवेदक ने निवेशकों के सह संघ के पक्ष में नए इक्विटी शेयर भी जारी किए अर्थात ***% इक्विटी शेयर के.जी. स्टील, के.जी. समूह के एक सदस्य, के पक्ष में और ***% इक्विटी शेयर कैक्टस प्राइवेट इक्विटी के पक्ष में जारी किए । इस आबंटन के अनुसार, के.जी. स्टील ***% शेयरों को धारित करते हुए आवेदक का प्रमुख शेयरधारक बन गया । परिणामस्वरूप, के.जी. स्टील को बोर्ड में अपने नामित डायरेक्टरों को नियुक्त करने का तथा विद्यमान कंपनी डोंगबू स्टील कंपनी लिमि. में अपना नाम भी जोड़ने के अधिकार की अनुमति प्राप्त थी । दिनांक 27 मार्च, 2020 को शेयरधारकों की बैठक में इस संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, कंपनी का नाम डोंगबू स्टील कंपनी लि. से बदल कर के. जी. डोंगबू स्टील कंपनी लि. कर दिया गया ।

घ. (i) ऋण/इक्विटी स्वैप और ऋणदाताओं की शेयर पूंजी में अंतिम कटौती और (ii) तृतीय- पक्षकार निवेशकों के पक्ष में शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप, आवेदक कंपनी के प्रचालनों में कोई अंतर नहीं हुआ है ।

ड. शेयरों के आबंटन के पूर्व और पश्चात प्रमुख शेयर धारकों की सूची नीचे दी गई है:-

आवंटन से पूर्व		**आवंटन के पश्चात**	
कंपनी का नाम	**% शेयरधारिता**	**कंपनी का नाम**	**% शेयरधारिता**
डोंगबू स्टील कंपनी, लिमिटेड		**के जी डोंगबू स्टील कंपनी, लिमिटेड**	
केडीबी बैंक	***	के जी स्टील	***
एनएच बैंक	***	कैक्टस पी ई	***
केएक्जिम बैंक	***	केडीबी बैंक	***
हाना बैंक	***		
शिनहन बैंक	***		

च. कुल मिला कर दोनों निवेशकों, के जी स्टील और कैक्टस प्राइवेट इक्विटी, में से कोई भी आवेदक के उसी या समान व्यवसाय में संलग्न नहीं है । के.जी. स्टील आवेदक कंपनी में निवेश करने के प्रयोजन से संस्थापित एक विशेष उद्देश्य रखने वाली कंपनी है और के जी ग्रुप का हिस्सा है । आवेदन के साथ संलग्न के जी ग्रुप में कंपनियों की एक सूची सहित के जी स्टील का व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र इस साक्ष्य के लिए पर्याप्त है कि के.जी. ग्रुप स्टील विनिर्माण के व्यवसाय में नहीं है । अब, यह केवल कंपनी के अधिग्रहण के अनुसरण में के. जी. ग्रुप स्टील विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रयास कर रहा है । अन्य निवेशक, कैक्टस पी ई एक परिसंपति प्रबंधन फर्म है ।

छ. चूंकि, के. जी. स्टील अब आवेदक के शेयरों के ***% के साथ सब से बड़ा शेयरधारक है, आवेदक कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया और अब इस में के.जी. ग्रुप से बोर्ड सदस्यों को शामिल किया गया है ।

ज. हालांकि, (i) ऋण/इक्विटी स्वैप और ऋणदाताओं की शेयरधारिता में अंतिम कटौती, और (ii) तृतीय पक्षकार निवेशकों के पक्ष में शेयर के आबंटन के अनुसरण में, कंपनी के प्रचालनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इसलिए, के जी स्टील द्वारा ***% अधिकांश इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के कारण नाम में परिवर्तन जरूरी था ।

घ. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का यहां नीचे उल्लेख किया गया है :-

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के नाम में डोंगबू स्टील कं. लिमि. से के जी डोंगबू स्टील कं. लिमि. में परिवर्तन के जी स्टील, जो आवेदक कंपनी में निवेश करने के लिए संस्थापित एक विशेष उद्देश्य वाली कंपनी है, द्वारा कंपनी में अधिकांश शेयरधारिता के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुल मिलाकर न तो विशेष रूप से के जी स्टील और न ही के जी ग्रुप आवेदक कंपनी के उसी या समान व्यवसाय में संलग्न है ।

ख. के.जी. स्टील के पक्ष में कंपनी के ***% शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप, आवेदक का नाम बदल कर के जी डोंगबू स्टील कंपनी लिमि. हो गया है । यह सियोल, कोरिया स्थित इसके मुख्यालय और डांगजिन, इंचियोन और इनसियोंग, कोरिया स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए, कोरिया के डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस द्वारा जारी व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्रों में परिलक्षित है जिससे डोंगबू द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई और व्यवसाय का नाम डोंगबू स्टील कंपनी लिमि. से बदल कर के जी डोंगबू स्टील कंपनी लिमि. हो गया ।

ग. कोरिया की इंटेग्रेटिड फाइनेंशियल रेग्यूलेटर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस, के समक्ष आवेदक द्वारा दायर सार्वजनिक घोषणा से, यह नोट किया गया है कि के.जी. स्टील के कंपनी के प्रमुख शेयर धारक बन जाने के कारण केवल आवेदक के नाम में परिवर्तन हुआ है ।

घ. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि तृतीय पक्षकारों द्वारा किए गए निवेश ने उन्हें आवेदक कंपनी के बोर्ड में सीटों का हकदार बनाया है और परिवर्तन प्रबंधन संरचना और कंपनी के शेयर धारिता ढांचे में हेर-फेर करने तक सीमित है ।

ड. <u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

8. मै. के जी डोंगबू स्टील कं. लिमिटेड, कोरिया जन. गणराज्य से आवेदक उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों सहित, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि दिनांक 27 मार्च, 2020 के बाद से उत्पादक/निर्यातक अर्थात डोंगबू स्टील कं. लिमिटेड का नाम बदल कर मै. केजी डोंगबू स्टील कं. हो गया है । तद्नुसार, प्राधिकारी दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अंतिम जांच परिणाम सं. 6/4/2019-डीजीटीआर के पैरा 181 में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं :-

क. कॉलम 6 में क्र.सं. 4 के सामने उत्पादक 'डोंगबू स्टील कं. लि' के नाम को 'केजी डोंगबू स्टील कं. लिमि.' के रूप में पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है ।

9. तद्नुसार, सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 जून, 2020 में भी वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन किया जा सकता है ।

10. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील, जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, को अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2022

FINAL FINDINGS

Case No. AD-MTR-11/2021

Subject: Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP regarding anti-dumping duty imposed on imports of "Aluminium and Zinc coated flat products" originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP.

F. No. 7/30/2021-DGTR.— A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "Rules") thereof:
2. Whereas having regard to the Act and Rules supra, the Designated Authority, Department of Commerce, the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, appointed under the Rules supra (hereinafter referred to as "the Authority") recommended imposition of provisional duty vide notification no. 6/4/2019 dated 15.07.2019. The provisional duties were imposed vide Customs Notification No. 40/2019-Customs (ADD) dated 15 October 2019. Thereafter, the Authority notified its final findings vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of Aluminium and Zinc coated flat products originating in or exported from Korea RP, China PR and Vietnam (hereinafter referred to as "the subject countries").
3. And whereas the Central Government, vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020 had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject countries.
4. In accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority notified vide initiation notification F. No. 7/30/2021-DGTR dated 13th October 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I Section I, initiating the Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP regarding anti-dumping duty imposed on imports of "Aluminium and Zinc coated flat products " originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP. The review is limited only to the aspect of the name change as claimed by M/s KG Dongbu Steel Co. Ltd., Korea RP (hereinafter referred to as "Applicant") with regard to the Final Findings No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020.

B. PROCEDURE

5. In this investigation, the procedure described herein below has been followed:-

   i. The Authority notified vide initiation notification F. No. 7/30/2021-DGTR dated 13th October 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiated midterm review investigation concerning imports of the subject goods from subject countries limited to change of name of producer/exporter from Korea RP.

   ii. The Authority forwarded a copy of initiation notification dated 13th October 2021 to the embassy of the subject countries and known domestic producers of subject goods in India (whose details were provided by the applicant) and gave them opportunity to make their views in writing within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.

   iii. There was no period of investigation set for the purpose of the present investigation as the scope of the investigation was restricted to the aspect of change of name of the applicant.

   iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested. The Authority did not receive any response or registration from any of the other interested parties.

   v. The Authority has examined the information furnished by the applicant with regard to the change in circumstance for accuracy and adequacy of the information so provided.

vi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the public hearing held on 20 December 2021.

vii. The oral hearing was attended only by the applicant. During the hearing, the applicant presented its views before the Authority, and was requested to file written submissions of the views expressed orally. Since there were no other views presented by the other interested parties there was no need for rejoinders. The arguments made in the written submissions from the applicant, to the extent considered relevant for the present investigation, have been considered in this Final Finding.

viii. Information provided by the applicant on 'confidential basis' was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted.

ix. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 6th January, 2021. No comments other than the Applicant producer/exporter have been filed by the other interested parties pursuant to the disclosure statement. The Applicant producer/exporter has requested to confirm the disclosure statement.

C. SUBMISSIONS MADE BY THE APPLICANT PRODUCER AND EXPORTER

6. The following submissions have been made by M/s KG Dongbu Steel Co. Ltd., the applicant producer from Korea RP:

a. It has been submitted by the Applicant that the Applicant is incorporated in the Republic of Korea, under the Korea Commercial Code.

b. It has also been submitted that in 2019, the applicant announced share consolidation for its existing shareholders and issuance of new shares to third party investors. For consolidation, every *** existing shares held by the financial creditors were consolidated into one consolidated share (*** for other existing shares). Accordingly, new shares were issued to creditors in exchange for cancellation of the portion of outstanding debts (***).

c. The applicant also issued fresh equity shares in favour of a consortium of investors, i.e., *** % equity shares in favour of KG Steel, a member of the KG Group, and *** % equity shares in favour of Cactus Private Equity. Pursuant to this allotment, KG Steel became the major shareholder of the applicant holding *** % shares. Consequently, KG Steel was allowed the right to appoint its nominee directors on the board and also to add its name in the existing company i.e. Dongbu Steel Co. Ltd. Pursuant to the decision taken in this regard at the shareholders' meeting on March 27, 2020, the name of the company was changed to KG Dongbu Steel Co. Ltd. from Dongbu Steel Co. Ltd.

d. Consequent to the (i) debt/equity swap and the ultimate reduction in the share capital of the creditors; and (ii) allotment of shares in favour of the third-party investors, there has not been any change in the operations of the applicant company.

e. The following is the list of major shareholders pre and post allotment of shares:

Prior to Allotment		**Post Allotment**	
Company Name	**% Shareholding**	**Company Name**	**% Shareholding**
Dongbu Steel Co., Ltd.		**KG Dongbu Steel Co., Ltd.**	
KDB Bank	***	KG Steel	***
NH Bank	***	Cactus PE	***
KEXIM Bank	***	KDB Bank	***
Hana Bank	***		
Shinhan Bank	***		

f. Neither of the two investors, KG Steel and Cactus Private Equity nor the KG Group at large, is engaged in the same or similar business as the applicant. KG Steel is a special purpose company incorporated for purposes of investing in the applicant company and is part of the KG Group. The business registration

certificate of KG Steel along with a list of companies in the KG Group attached to the application would suffice an evidence that the KG Group is not in the business of steel manufacturing. It is only now, pursuant to the acquisition of the company, that the KG Group is foraying into the steel manufacturing sector. The other investor, Cactus PE is an asset management firm.

g. Since KG Steel is now the largest shareholder with *** % of the applicant's shares, the board of directors of the applicant company was reconstituted and now includes board members from the KG Group.

h. However, following the (i) debt/equity swap and the ultimate reduction in the share capital of the creditors; and (ii) the allotment of shares in favour of the third-party investors, there has not been any change in the operations of the company. Therefore, the change in name was necessitated due to the acquisition of the majority equity shares of *** % by KG Steel.

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

7. The submissions made by the interested parties are addressed herein below:

a. The Authority notes the change of name of the applicant from Dongbu Steel Co., Ltd. to KG Dongbu Steel Co., Ltd. is a result of the acquisition of a majority shareholding in the company by KG Steel, a special purpose company incorporated to invest in the applicant company. The Authority also notes that neither KG Steel specifically nor the KG Group at large is involved in the same or similar business as that of the applicant company.

b. Subsequent to the allotment of *** % shares of the company in favour of KG Steel, the name of the applicant has been changed to KG Dongbu Steel Co. Ltd. This has been reflected in the certificates of business registration issued by the District Tax Office of Korea, for the head office at Seoul, Korea and Manufacturing Units at Dangjin, Incheon and Eunseong, Korea, whereby the request by Dongbu was examined and the name of the business was changed from Dongbu Steel Co. Ltd to KG Dongbu Steel Co. Ltd.

c. From the public announcement filed by the applicant with the Financial Supervisory Service, Korea's integrated financial regulator, it is noted that there has only been a change of name of the applicant because of KG Steel becoming the major shareholder of the company.

d. The Authority further notes that, the investment made by the third parties has entitled them to seats on the board of the applicant company and the changes are limited to the management structure and alteration in the shareholding structure of the company.

E. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS

8. Having considered all aspects of the case, including submissions made by M/s KG Dongbu Steel Co. Ltd., the applicant producer from Korea RP, and other interested parties, the Authority holds that the name of the producer/ exporter i.e., Dongbu Steel Co., Ltd. has been changed to M/s KG Dongbu Steel Co., Ltd. w.e.f. March 27, 2020. Accordingly, the Authority makes the following change in para 181 of the Final Findings No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020:

a. Against Serial No. 4, in Col. 6, the name of the Producer 'Dongbu Steel Co., Ltd.' is amended to read as 'KG Dongbu Steel Co., Ltd.'.

9. Accordingly, the Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020 may also be amended by the Ministry of Finance.

10. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.01.12 20:51:52 +05'30'